सत्यमेव जयते

Rajasthan RERA

राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी

द्वितीय एवं तृतीय तल, आरएसआईसी विंग, उधोग भवन,
तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर – 302005
फोन नं. – 0141–2851905–6 वेबसाईट – http://rera.rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ.4(1)आरजे/रेरा/2017/पार्ट/1883 दिनांकः 24.09.2021

आदेश

राज्य सरकार द्वारा राज्य के समस्त नगरीय क्षेत्रो में 2 अक्टूबर, 2021 से प्रारम्भ किये जा रहे ''प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021'' को सफल बनाने में नगरीय निकायों की सहायता के उद्धेश्य से रेरा ऑथोरिटी ने निर्णय लिया है कि अभियान अवधि में नगरीय निकायों से प्राप्त होने वाले प्रोजेक्ट प्रस्तावों का 48 घण्टे में रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया जाएगा।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि रेरा ऑथोरिटी द्वारा प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के प्रस्ताव केवल Online ही प्राप्त किये जाते हैं और इस हेतु रजिस्ट्रेशन फीस भी Online ही जमा करानी होती है, जो SBIePay अथवा ई–मित्र के माध्यम से जमा कराई जा सकती है। डी.डी., चैक अथवा RTGS/NEFT के माध्यम से फीस स्वीकार नही की जाती है। इस सम्बन्ध में नगरीय निकायों की सहायता करने और उनकी किसी भी प्रकार की कठिनाई/शंका के निवारण हेतु श्री अर्पित संचेती, संयुक्त रजिस्ट्रार को रेरा में अभियान का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उन परियोजनाओं को छोडकर जिनमें दिनांक 01.05.2017 से पहले नगरीय निकाय द्वारा कोई पट्टा जारी किया जा चुका है या जिनका 01.05.2017 से पहले विकास कार्य पूरा हो चुका हैं, नगरीय निकाय की स्वयं की और निजि खातेदार, निजि विकासकर्ता तथा को–ऑपरेटिव सोसायटी की किसी भी योजना में पट्टे जारी करने से पहले उनका रेरा में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में नगरीय निकायों द्वारा रेरा ऑथोरिटी के निम्न अधिकारियों से किसी भी समय उनके मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क किया जा सकता हैः–

श्री अर्पित संचेती, संयुक्त रजिस्ट्रार व नोडल अधिकारी	–	9829872121
श्री रमेश चन्द्र शर्मा, रजिस्ट्रार	–	9928362169

यह अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(रमेश चन्द्र शर्मा)
रजिस्ट्रार, रेरा

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित कर निवेदन है कि इस आदेश की प्रति सभी नगरीय निकायों को प्रेषित कराने का श्रम करावें।

1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर
2. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर
3. निदेशक एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव, स्थानीय निकाय, राजस्थान जयपुर

रजिस्ट्रार, रेरा

राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी
द्वितीय एवं तृतीय तल, आरएसआईसी विंग, उधोग भवन,
तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर – 302005
फोन नं. – 0141–2851905–6 वेबसाईट – http://rera.rajasthan.gov.in

सत्यमेव जयते
Rajasthan RERA

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण / जोधपुर विकास प्राधिकरण / अजमेर विकास प्राधिकरण
2. आयुक्त, ग्रेटर नगर निगम / हेरिटेज नगर निगम, जयपुर
3. आयुक्त, नगर निगम कोटा / जोधपुर / उदयपुर / अलवर / भरतपुर / अजमेर
4. समस्त सचिव, नगर विकास न्यास, राजस्थान

रजिस्ट्रार, रेरा